राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना

पत्रांक : 1111 पटना/दिनांक : 09/7/2010

प्रेषक,

सचिव,

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक/ निजी पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय : प्रथम वर्ष में निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पूर्व में पर्षद द्वारा यह निदेशित किया गया है कि प्रथम वर्ष में नामांकन के समय हीं निबंधन का कार्य अनिवार्य रुप से कर लिया जाय, लेकिन उक्त आदेश का अनुपालन दृढ़ता से प्राचार्य स्तर से नहीं किया जा रहा है। वर्षों भर निबंधन का कार्य चलता रहता है एवं कभी–कभी तो ऐसे मामले भी पर्षद में आते हैं जो वर्ष बीतने के बाद भी छात्रों का निबंधन प्रपत्र निबंधन हेतु पर्षद में भेजा जाता है।

पुनः स्मारित करना है कि प्रथम वर्ष में नामांकन के समय हीं छात्रों का निबंधन कर लिया जाय। साथ हीं नामांकन के समय हीं निबंधन का शुल्क प्राप्त कर पर्षद को भेज दिया जाय। ऐसा होने से छात्रों/छात्राओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

8.7.10

सचिव

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना

8.7.10